2 व 3 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में ो के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है, संयोजित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 अपने-अपने हिस्से अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 23.09.2021 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ने आपसी के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

करण हाजा में मौजा फिरोजपुरा के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित र अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में ान द्वारा वादी के हक बंट में 3/4 हिसा एवं प्रतिवादी ईग्यारसी के हक बंट में 1/4 अनुसार मौजा फिरोजपुरा के खेत खसरा नंबर 60 रकबा 0.0405 पूरा, खसरा नंबर 92 0.4290 हक्टेयर पूरा, व खसरा नंबर 249 रकबा 1.1169 में से 0.7786 हैक्टेयर दक्षिणी ादी गोमाराम के तथा खसरा नंबर 249 रकबा 1.1169 में से 00.3383 हैक्टेयर उतरी भाग दी ईग्यारसी के माफिक राजीनामा अनुसार बंट चाहा है जिसमें खसरा नंबर 249 जो पूर्ण विभाजन नहीं है। अतः वाद पत्र में वर्णित खसरा नं. 249 की भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन ोने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री किया जाना उचित समझते है।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 88 ान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता टवाड़े हेतु प्राथमिक डिक्री इस आशय की तहसीलदार जायल को जारी कर आदेशित किया है कि खसरा संख्या 60, 92, 249 ग्राम फिरोजपुरा तहसील-जायल के विभाजन बाबत् राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से प्राप्त पत्रांक : रा.म./न्याय/स्था. 1/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 की पालना सुनिश्चित करते हुये दो प्रतियों ार कर आगामी तारीख पेशी 21/10/2021 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। ार पालना हेतु तहरीर तहसीलदार जायल को जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/9/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी रे इजलास सुनाया गया।

30/9/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner